

**मध्यप्रदेश शासन**  
**तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**  
**लेटरल एण्ट्री**  
**(डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु)**

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में गतवर्ष संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ आईटीआई उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश नियम

**सत्र 2025-26**

1.	शासकीय (Government) क्षेत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी शासकीय स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-9
2.	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 10-17
3.	तालिका-1 (12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेटरल एण्ट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक विषय)	पृष्ठ 18-20
4.	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 21-25
5.	संभावित संस्थाएं/ब्रांचबार सीटों की संख्या की जानकारी	पृष्ठ 26-40

**संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**  
**सतपुड़ा भवन, भोपाल**

# लेटरल एण्ट्री

## (डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशास शासकीय स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश के नियम

### सत्र 2025-26

#### 1.1 सामान्य :

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, शासकीय, स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु लेटरल एण्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे।

#### 1.2 परिभाषाएं:-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)।
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
6. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं।
7. आयुक्त का तात्पर्य है आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. कुलगुरु का तात्पर्य है कुलगुरु राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

9. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी।
  10. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।
  11. "म.प्र सीट" से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के आरक्षित सीटें।
- 1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, शासकीय, स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

#### 1.4 प्रवेश नियम-

##### 1.4.1 उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थाओं के गत वर्ष की प्रवेश क्षमता की अधिकतम 10 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगी। उक्त सीटों के साथ गत वर्ष प्रथम वर्ष की रिक्त रहीं सीटों को भी जोड़ा जायेगा। ये सीटें केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध होंगी।

##### 1.4.2 सीटों का आरक्षण:

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, शासकीय, स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टीप:-

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
- (ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

#### 1.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिषा निर्देश देखें।)

#### 1.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर):-

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र 30 अप्रैल 2022 के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 एवं आदेश क्रमांक एच-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन आदेश देखें ।)

#### 1.4.2.3 महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण:

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा

एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10-02-2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना, नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है, कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

## 1.5 प्रवेश हेतु पात्रता:

1.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी।

1.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

1.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10+2 की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

टिप्पणी:-10+2 की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में दो अथवा उससे अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

अथवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, तालिका-1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

1.5.4 राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसलिंग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर, काउंसलिंग (परामर्श) के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं:

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, शासकीय, स्व-वित्तीय (विश्वविद्यालयीन) एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक

महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी को पात्रता होगी:

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### 1.6 प्रवेश की रीति:

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूची (Common Merit List) तैयार की जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से प्रवेश किये जावेंगे।

टिप्पणी:-

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने में वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यता सूची में रखा जावेगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रति स्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा, जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

#### 1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया

**(Admission Procedure of Online Off Campus Counselling)-**

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

#### 1.8 सामान्य जानकारियां:

- 1.8.1 अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट के आधार पर तैयार की गई एकीकृत योग्यता क्रम मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश किये जावेंगे।
- 1.8.2 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (<https://dte.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध कराएगा।

### 1.8.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

**नोट:-** काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माईग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.8.4 संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी।

### 1.9 प्रवेश का क्रम:-

1.9.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आवंटित की जाएगी।

ऐसे आवंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आवंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

1.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आवंटन किया जाएगा।

1.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श

(काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

**1.9.4** काउंसलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।

#### **1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-**

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

#### **(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति:-**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

#### **1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-**

राज्य शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

**1.12** अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।



- 1.13** मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन (**Modification**) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन (**Modification**) बंधनकारी होगा।
- 1.14** लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ-साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जो कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- 1.15 क्षेत्राधिकार-**
- किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
- प्रवेश नियम की प्रति, वेबसाईट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में

सत्र 2025-26 के लिये प्रवेश नियम

*लेटरल एण्ट्री*

(डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु)

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में गतवर्ष संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ आईटीआई उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश नियम

सत्र 2025-26

## 2.1 सामान्य:

ये नियम मध्यप्रदेश के निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु लेटरल एण्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे एवं "प्रवेश नियम-2008" अनुसार प्रभावी होंगे ।

## 2.2 परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)।
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
5. अ.भा.त.शि.प.: का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
6. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है।

7. आयुक्त का तात्पर्य है आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. कुलगुरु का तात्पर्य है कुलगुरु राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति।
10. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस,बीडीएस आदि)।
11. "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार।
12. "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है।
13. "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है।
14. "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाइन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं।
15. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

2.3 ये नियम मध्यप्रदेश के निजी क्षेत्र के पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में में 10+2 की दसवीं की परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे।

## 2.4 प्रवेश नियम-

### 2.4.1 उपलब्ध सीटें:

विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के गत वर्ष की प्रवेश क्षमता की अधिकतम 10 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगी। उक्त सीटों के साथ गत वर्ष की प्रथम वर्ष की रिक्त रहीं सीटों को भी जोड़ा जायेगा।

### 2.4.2 सीटों का आरक्षण:

मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

#### टीप:-

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

#### 2.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिषा निर्देश देखें।)

#### 2.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर):-

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र 30 अप्रैल 2022 के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (प्रारूप-10) परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र/एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिषा देखें ।)

## 2.5 प्रवेश हेतु पात्रता:

2.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी।

2.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10+2 की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

टिप्पणी:-10+2 की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में दो अथवा उससे अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

## अथवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, तालिका-1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

2.5.4 राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसलिंग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर, काउंसलिंग (परामर्श) के समय प्रस्तुत करना होगा।

### 2.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं:

मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह:-

1. भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

### 2.6 प्रवेश की रीति:

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूची (Common Merit List) तैयार की जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से प्रवेश किये जावेंगे।

#### टिप्पणी:-

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने में वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यता क्रम सूची में रखा जावेगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रति स्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

### 2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

#### Admission Procedure of Online Offcampus Counselling

राज्य सरकार द्वारा किसी विषिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

### 2.8 सामान्य जानकारियां

- 2.8.1 अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट के आधार पर तैयार की गई एकीकृत योग्यता क्रम मेरिट सूची के आधार पर किये जावेंगे।

2.8.2 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (<https://dte.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध कराएगा।

### 2.8.3 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

**नोट:-** काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माईग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

2.8.4 संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी।

### 2.9 प्रवेश का क्रम:-

2.9.1 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

2.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

**2.9.3** यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

#### **2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-**

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।
- (3) **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति:-**  
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

#### **2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-**

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

**2.12** अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में



राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

- 2.13** मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन (Modification) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन (Modification) बंधनकारी होगा।
- 2.14** लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ-साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जो कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- 2.15** क्षेत्राधिकार-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

**प्रवेश नियम की प्रति वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।**

### तालिका-1

#### 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेटरल एण्ट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक विषय

Sr.No.	Major Disciplines	Equivalent Branches for Admission	Mandatory Courses at 10+2 Level	other relevant course (s) for the discipline
1	AERONAUTICAL ENGINEERING	Aircraft Maintenance Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
2	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agriculture Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
3	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agricultural Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
4	CIVIL ENGINEERING	Civil Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
5	CIVIL ENGINEERING	Cement Technology	Phy, Chem, Maths	NA
6	CIVIL ENGINEERING	Construction Technology and Management	Phy, Chem, Maths	NA
7	CHEMICAL ENGINEERING	Chemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
8	CHEMICAL ENGINEERING	Plastic Technology	Phy, Chem, Maths	NA
9	CHEMICAL ENGINEERING	Refinery and Petrochemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
10	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science and Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
11	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
12	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Hardware and Maintenance	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
13	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Information Technology	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
14	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
15	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
16	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Mechanical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
17	ELECTRONICS	Electronics	Phy, Maths	For remaining single

	ENGINEERING	Engineering		courses select any courses out of 14#
18	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Communication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
19	ELECTRONICS ENGINEERING	IC Manufacturing	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
20	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Telecommunication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
21	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Instrumentation	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
22	ELECTRONICS ENGINEERING	Industrial Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
23	ELECTRONICS ENGINEERING	Instrumentation Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
24	ELECTRONICS ENGINEERING	Opto Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
25	FASHION TECHNOLOGY	Fashion Technology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
26	FASHION TECHNOLOGY	Beauty Culture and Cosmetology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
27	FASHION TECHNOLOGY	Film Tech. & TV Prod. (Cinematography)	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
28	FASHION TECHNOLOGY	Modern Office Management	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
29	FASHION TECHNOLOGY	Textile Design	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
30	FASHION TECHNOLOGY	Travel and Tourism	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
31	FOOD ENGINEERING	Food Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
32	FOOD ENGINEERING	Hotel Management of Catering Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
33	MECHANICAL ENGINEERING	Mechanical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
34	MECHANICAL	Automobile	Phy, Chem, Maths	NA

	ENGINEERING	Engineering		
35	MECHANICAL ENGINEERING	Manufacturing Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
36	MECHANICAL ENGINEERING	Mechatronics	Phy, Chem, Maths	NA
37	MECHANICAL ENGINEERING	Production Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
38	MECHANICAL ENGINEERING	Refrigeration and Air Conditioning	Phy, Chem, Maths	NA
39	MECHANICAL ENGINEERING	Textile Designing	Phy, Chem, Maths	NA
40	MINING ENGINEERING	Mining Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
41	MINING ENGINEERING	Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
42	MINING ENGINEERING	Mining and Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
43	OPHTHALMIC	Ophthalmic Technology	Phy	For remaining two courses select any courses out of 14#
44	PRINTING ENGINEERING	Printing Technology	Phy, Chem	For remaining single courses select any courses out of 14#
45	TEXTILE ENGINEERING	Textile Technology	Phy, Chem, Maths	NA

\*\* First one or two Semesters may be so designed that student with Biology /Biotechnology/ background have adequate courses on maths and vice Versa and then the class is at level studying field for the rest of the semesters.

# Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/ Information Technology/ Biology/Informatics Practices/Biotechnology/Technical Vocational subject/Agriculture/ Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship.

**अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग..... जिला ..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....

**स्थायी जाति प्रमाण पत्र**

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी ..... पिता/  
पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर ..... वि.खं. ....  
तहसील ..... जिला ..... संभाग ..... के .....  
जाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के  
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट  
किया गया है और यह ..... जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति  
(संशोधन) अधिनियम 1976 ,के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर  
अंकित हैं। अतः श्री / श्रीमती/ कुमारी ..... पिता/पति का नाम  
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय  
रूपए.....है।

दिनांक.....

**हस्ताक्षर**

**प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**

**पदनाम**

**(सील)**

**टिप्पणी**

- 1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।
- 2 केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।  
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

\*\*\*\*\*

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित  
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी  
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला ..... मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....

जाति प्रमाण-पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी/ग्राम/शहर.....  
तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं,  
जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम  
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84,  
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन,  
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया  
गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के  
जिला ..... संभाग.....में निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)  
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3-में तथा  
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ -1/93/26-7 .आ.प्र., दिनांक 8  
मार्च 1994के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की  
कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन  
कर चुका है।

दिनांक .....

(सील)

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले  
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
आत्मज/आत्मजा/ श्री ..... ने वर्ष  
..... की ..... में भारत सरकार,  
युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के  
अधिकार पत्र पर आयोजित ..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में  
..... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान .....

दिनांक .....

संचालक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश  
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

(नोट:- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।)

**स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र**

## कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार

टप्पा/तहसील ..... जिला.....

प्र.क्र ..... वर्ष..... दिनांक.....

### स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का  
पासपोर्ट साईज का  
फोटो लगाया जाये जो  
प्राधिकृत अधिकारी  
द्वारा सत्यापित  
किया जायें

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.....  
पिता/पति ..... निवासी .....  
तहसील ..... जिला .....  
(मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक ..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक ..... की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।
- 2 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

प्रारूप -10

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र



### (सादे कागज पर)

- मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-
- 1 मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
  - 2 मेरी नाम से ग्राम..... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है ,जिससे मुझे रुपये.....शब्दों में .....की वार्षिक आय होती है।
  - 3 मेरा व्यवसाय..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....शब्दों में..... है।
  - 4 गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में ..... है।
  - 5 मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैं:-  
1..... 2..... 3..... 4..... 5 .....
  - (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
  - 6 मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में ..... है।
  - 7 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

### अथवा

- 8 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासी .....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक .....वर्ष ..... को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

**DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH**  
**TENTATIVE SEATS IN DIPLOMA (LATERAL ENTRY) COURSE**  
**ON THE BASIS OF INTAKE OF YEAR 2024-26 FOR THE SESSION 2025-26**

S.No.	Name of Institute	City	Branch Name	Intake
<b>Government Autonomous</b>				
1	S.V. Polytechnic College	Bhopal	Film Technology and TV Production (Cinematography)	6
			Modern Office Management	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	5
			Counstruction Tech and Managment	3
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Information Technology	5
			Mechanical Engineering	6
			Production Engg	6
2	Govt. Polytechnic College	Damoh	Civil Engineering	4
			Computer Science & Engineering	4
			Electrical Engineering	4
			Electronics & Telecommunication	4
			Mechanical Engineering	4
3	Dr. B.R.A. Govt Polytechnic College	Gwalior	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	4
			Information Technology	6
			Mechanical Engineering	6
			Textile Tech	6
4	Kala Niketan Govt Polytechnic College	Jabalpur	Automobile Engg	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Information Technology	6
			Mechanical Engineering	6
			Printing Tech	6

5	G.T. Govt Polytechnic College	Jaora	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
6	MJP Govt. Polytechnic College	Khandwa	Modern Office Management	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
			Refrigeration and Air conditioning	6
7	Govt Polytechnic College	Nowgong	Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Electrical Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	5
			Mechanical Engineering	5
8	Govt Polytechnic College	Ujjain	Chemical Engg	6
			Computer Science & Engineering	6
			Counstruction Tech and Managment	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Information Technology	6
			Mechanical Engineering	6
			Plastic Tech	6
			Refinery and Petro Chemical (Petroleum Technology)	6
9	G.T. Govt Polytechnic College	Dhar	Computer Science & Engineering	4
			Industrial Electronics	3
			Information Technology	3
			Manufacturing	3
			Mechrtonics	4
<b>Government Autonomous [GIRLS]</b>				
10	Govt. Womens Polytechnic College	Indore	Computer Science & Engineering	5
			Fashion Technology	5
			HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	2

<b>Government</b>				
11	GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE	AGAR MALWA	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
12	Govt. Polytechnic College	Alirajpur	Civil Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	5
13	Govt. Polytechnic College	Anuppur	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
14	Govt. Polytechnic College	Ashoknagar	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
15	Govt. Polytechnic College	Badwani	Civil Engineering	2
			Computer Hardware & Maintenance	2
			Computer Science & Engineering	4
			Information Technology	2
			Refrigeration and Air conditioning	2
16	Govt. Polytechnic College	Balaghat	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
17	GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE	BARELI	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
18	Govt. Polytechnic College	Betul	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
19	Govt. Polytechnic College	Dabra	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	3

20	Government Polytechnic College	Datia	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
21	Govt. Polytechnic College	Dewas	Computer Science & Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	5
			Mechanical Engineering	5
22	Govt Polytechnic College	Dindori	Automobile Engg	3
			Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Mechanical Engineering	6
23	Govt. Polytechnic College	Harda	Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Electrical Engineering	5
			Mechanical Engineering	5
24	GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE	HARSUD	Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	3
			Electronics & Telecommunication	3
			Mechanical Engineering	3
25	Govt. Polytechnic College	Itarsi	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
26	Govt. Polytechnic College	Jatara	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
27	Govt. Polytechnic College	Jawad	Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
28	Govt. Polytechnic College	Katni	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
29	Govt. Polytechnic College	Khirsadoh	Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Electrical Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	5
			Information Technology	4

			Mechanical Engineering	5
			Mining & Mine Surveying	5
30	Govt. Polytechnic College	Khurai	Civil Engineering	5
			Electrical Engineering	5
			Mechanical Engineering	5
31	GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE	LATERI	Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	3
			Electronics & Telecommunication	3
			Mechanical Engineering	3
32	Govt. Polytechnic College	Mandsaur	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
33	Govt. Polytechnic College	Morena	Computer Science & Engineering	1
			Electrical Engineering	1
			Mechanical Engineering	1
34	Govt. Polytechnic College	Nasrullaganj	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Textile Tech	6
35	Govt. Polytechnic College	Pachore	Electrical Engineering	4
			Mechanical Engineering	4
36	Govt. Polytechnic College	Pawai	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
37	Govt. Polytechnic College	Raghoarh	Computer Science & Engineering	3
			Electronics & Instrumentation	3
			Mechanical Engineering	3
38	Govt. Polytechnic College	Raisen	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	3
			Mechanical Engineering	6
39	Govt. Polytechnic College	Rajgarh	Chemical Engg	6
			Civil Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6

40	Govt Polytechnic College	Rewa	Civil Engineering	6
			Computer Hardware & Maintenance	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
41	Govt. Polytechnic College	Sanawad	Automobile Engg	2
			Civil Engineering	4
			Computer Hardware & Maintenance	4
			Computer Science & Engineering	4
			Electrical Engineering	4
			Electronics & Telecommunication	4
			Mechanical Engineering	4
42	Govt. Polytechnic College	Satna	Cement Tech	4
			Computer Science & Engineering	5
			Electrical Engineering	5
			Mechanical Engineering	5
43	Govt. Polytechnic College	Sendhwa	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	3
			Mechanical Engineering	6
44	Govt. Polytechnic College	Seoni	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
45	Govt. Polytechnic College	Shahdol	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mine Surveying	6
			Mining & Mine Surveying	6
46	Govt. Polytechnic College	Shajapur	Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
47	Govt. Polytechnic College	Sheopur	Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Mechanical Engineering	5
48	Govt. Polytechnic College	Shivpuri	Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6

49	Govt. Polytechnic College	Sidhi	Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
50	Govt. Polytechnic College	Sironj	Civil Engineering	5
			Computer Science & Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	5
			Mechanical Engineering	5
51	Govt. Polytechnic College	Tikamgarh	Computer Science & Engineering	4
			Electrical Engineering	5
			Electronics & Telecommunication	3
			Mechanical Engineering	4
52	Govt. Polytechnic College	Umaria	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining Engineering	6
53	Govt. Polytechnic College	Waidhan	Civil Engineering	4
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6
<b>Government [GIRLS]</b>				
54	Government Womens Polytechnic College	Gwalior	Beauty Culture & Cosmetics	6
			Modern Office Management	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Information Technology	6
			Textile Design	6
55	Govt. Womens Polytechnic College	Bhopal	Modern Office Management	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Fashion Technology	6
56	Govt. Womens Polytechnic College	Jabalpur	Modern Office Management	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Fashion Technology	6
			Food Tech	3
			TRAVEL AND TOURISM	3



<b>Government [Special Co-Ed]</b>				
57	Govt Polytechnic College	Bhind	Modern Office Management	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
58	Jija Mata Govt. Polytechnic College	Burhanpur	Modern Office Management	6
			Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Fashion Technology	3
			Mechanical Engineering	3
			TRAVEL AND TOURISM	3
59	Indira Gandhi Govt Polytechnic College	Chhindwara	Modern Office Management	4
			Computer Science & Engineering	4
60	Government Polytechnic College	Hoshangabad	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Modern Office Management	6
61	Govt. Polytechnic College	Khargone	Modern Office Management	4
			Computer Science & Engineering	4
			Electronics & Telecommunication	4
			Fashion Technology	4
			Information Technology	4
62	V.M. Govt. Polytechnic College	Narsinghpur	Modern Office Management	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Fashion Technology	3
63	Govt. Polytechnic College	Panna	Modern Office Management	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
64	Jija Mata Govt. Polytechnic College	Sagar	Modern Office Management	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Fashion Technology	6

<b>Government Aided</b>				
65	Shri Vaishnav Polytechnic College	Indore	Automobile Engg	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
			Ophthalmic Tech	3
			Opto Electronics Engg	3
			Production Engg	6
			Textile Tech	3
66	SATI (Polytechnic)	Vidisha	Automobile Engg	3
			Chemical Engg	9
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	9
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
<b>University Owned</b>				
67	Univesity Polytechnic College, (RGPV)	Bhopal	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
<b>PRIVATE</b>				
68	SATPUDA COLLEGE OF ENGINEERING AND POLYTECHNIC	BALAGHAT	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	12
			Mechanical Engineering	12
			Mining & Mine Surveying	12
69	SENDHWA INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES	BARWANI	Civil Engineering	3
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	3
70	SHRI BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT	BETUL	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
71	ALL SAINTS COLLEGE OF ENGINEERING	BHOPAL	Civil Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
72	KOPAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY	BHOPAL	Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
73	LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF	BHOPAL	Civil Engineering	3
			Mechanical Engineering	6

	TECHNOLOGY & SCIENCE			
74	LAXMIPATI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY	BHOPAL	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
75	MILLENIUM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE	BHOPAL	Electrical & Electronics Engineering	12
			Mechanical Engineering	6
76	MILLENIUM INSTITUTE OF TECHNOLOGY	BHOPAL	AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING	3
			Civil Engineering	12
			Mechanical Engineering	6
77	MITTAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY	BHOPAL	Mechanical Engineering	6
78	NRI INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY	BHOPAL	Electronics and Communication	3
			Mechanical Engineering	6
			Mining Engineering	6
79	Patel College of Science & Technology	Bhopal	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Information Technology	6
			Mechanical Engineering	6
80	RADHARAMAN ENGINEERING COLLEGE	BHOPAL	Civil Engineering	12
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
81	RAJEEV GANDHI PRODYOGIKI MAHAVIDHYALAYA	BHOPAL	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
82	SHRI RAM COLLEGE OF TECHNOLOGY	BHOPAL	Civil Engineering	3
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
83	TECHNOCRATS INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE	BHOPAL	Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
84	VIDHYAPEETH INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY	BHOPAL	Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
85	VNS GROUP OF INSTITUTIONS	BHOPAL	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6

86	SAGAR INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY - EXCELLENCE	BHOPAL	Civil Engineering	12
			Computer Science & Engineering	6
			Mechanical Engineering	12
87	NRI INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY (FIRST SHIFT)	BHOPAL	Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
88	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Polytechnic College	Burhanpur	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
89	LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE	GWALIOR	Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	3
			Electronics and Communication	3
			Information Technology	3
			Mechanical Engineering	3
90	RAMNATH SINGH INST OF Technology & Science	GWALIOR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	3
			Electronics and Communication	6
			Information Technology	6
			Mechanical Engineering	6
91	ASTRAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & RESEARCH	INDORE	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
92	BM COLLEGE OF TECHNOLOGY	INDORE	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
93	LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE (RIT)	INDORE	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
94	LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY	INDORE	Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
95	MALWA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY	INDORE	Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
96	MALWA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	INDORE	Civil Engineering	3
			Mechanical Engineering	6
97	Patel College of Science & Technology	Indore	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	12
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
98	SHIV KUMAR SINGH	INDORE	Civil Engineering	6

	INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE		Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
99	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF ENGINEERING	INDORE	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
100	GURU RAMDAS KHALSA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	JABALPUR	AGRICULTURE ENGINEERING	3
			Automobile Engg	3
			Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	3
			DAIRY ENGINEERING	3
			Electrical & Electronics Engineering	3
			Electronics & Telecommunication	3
			FIRE TECHNOLOGY AND SAFETY	3
			Mechanical Engineering	3
			Refrigeration and Air conditioning	3
101	LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6
102	ORIENTAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
103	RADIANT INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6

104	SARASWATI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	JABALPUR	AGRICULTURAL ENGINEERING	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
105	SGBM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
106	ST. ALOYSIUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
107	TAKSHSHILA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY	JABALPUR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	12
			Mechanical Engineering	12
108	BADERIA GLOBAL INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT JABALPUR (formerly GLOBAL NATURE CARE SANGATHANS GROUP OF INSTITUTIONS)	JABALPUR)	Civil Engineering	6
			COMPUTER SCIENCE	6
			Mechanical Engineering	6
109	JAWAHARLAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BORAWAN	KHARGON E	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
110	GIRDHAR SIKSHA EVAM SAMAJ KALYAN SAMITI GROUP OF INSTITUTIONS, MANDIDEEP	RAISEN	Civil Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
111	JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE OF TECHNOLOGY	REWA	Civil Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	12
112	ADINA INSTITUTE OF SCIENCE AND	SAGAR	Computer Science & Engineering	6
			Mechanical Engineering	6

	TECHNOLOGY			
113	BABULAL TARABAI INSTITUTE OF RESEARCH & TECHNOLOGY	SAGAR	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
114	GYAN SAGAR COLLEGE OF ENGINEERING	SAGAR	Civil Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
115	INFINITY MANAGEMENT & ENGINEERING COLLEGE	SAGAR	Civil Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
116	ADITYA COLLEGE OF TECHNOLOGY & SCIENCE	SATNA	Cement Tech	6
			Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
117	SHRI RAMA KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING SCIENCE AND MANAGEMENT (SRKCESM)	SATNA	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6
118	THE VITS Polytechnic, Amoudha	Satna	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6
119	VINDHYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE	SATNA	Electrical Engineering	3
			Mechanical Engineering	6
120	Manthan Polytechnic College	Sehore	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Electronics & Telecommunication	6
			Mechanical Engineering	6
121	DIVY JYOTI ENGINEERING COLLEGE	SIDHI	Civil Engineering	6
			Computer Science & Engineering	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
			Mining & Mine Surveying	6
122	ALPINE INSTITUTE OF	UJJAIN	Civil Engineering	6

	TECHNOLOGY		Electrical & Mechanical Engg.	6
			Electrical Engineering	6
			Mechanical Engineering	6
123	MAHAKAL INSTUTE OF TECHNOLOGY	UJJAIN	Civil Engineering	3
			Computer Science & Engineering	3
			Electrical Engineering	3
			Mechanical Engineering	3
124	VIKRANT INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT	INDORE	Civil Engineering	6
			Electrical & Electronics Engineering	6
			Mechanical Engineering	12

**NOTE:** ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE